

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 86/ 2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 10 नवंबर, 2020

सा.का.नि.....(अ) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 की धारा 61 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 76/2020 केन्द्रीय कर दिनांक 15 अक्टूबर 2020 जिसे सा.का.नि. 636(अ) दिनांक 15 अक्टूबर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को विखण्डित करती है।

[फा. सं.-सी.बी.ई.सी.-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार